न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **203 / 2025** अन्तर्गत धारा **136** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ईश्वरसिंह पुत्र अगरसिंह 2. गुलाबसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपुत, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. उम्मेदसिंह पुत्र नरपतसिंह 2. कानसिंह पुत्र नरपतसिह 3. सजनसिंह पुत्र अलसिंह जाति राजपुत, निवासी तालों का पार तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री भगवानदास गोयल।
अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3 :– बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : **11.09.2025**

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा तालों का पार, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1266 / 1028 रकबा 6.7421 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1369 / 1266 रकबा 6.7421 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 1266 / 1028 का विभाजन होने पर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से खसरा नम्बर 1266 / 1028 के स्थान पर खसरा नम्बर 1369 / 1266 का अंकन कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 1369 / 1266 के स्थान पर खसरा नम्बर 1266 / 1028 का अंकन कर दिया गया, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी मौके पर कब्जा काश्त की तरमीम लट्ठा नक्शा में विप्रार्थीगण के कब्जा में आ रही है तथा विप्रार्थीगण की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में आ रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटि[illegible] करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर जरिये अधिवक्ता तलब पेश कर उक्त विवादित आराजी की तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई तथा अपने बयान दर्ज कराये। [illegible] किये गये। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर खसरा नम्बर 1266 / 1028 के स्थान पर खसरा नम्बर 1369 / 1266 को खातेदारान् का कब्जा काश्त आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1369 / 1266 के स्थान पर खसरा नम्बर 1266 / 1028 के खातेदारान् का वास्तविक कब्जा काश्त आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर खसरा नम्बर 1266/1028 के स्थान पर खसरा नम्बर 1369/1266 को खातेदारान् का कब्जा काश्त आ रहा है तथा खसरा नम्बर 1369/1266 के स्थान पर खसरा नम्बर 1266/1028 के खातेदारान् का वास्तविक कब्जा काश्त आ रहा है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी पक्षकारान् द्वारा जरिये अधिवक्ता सहमति जवाब पेश किया गया है। साथ ही उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तालों का पार, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1266/1028 रकबा 6.7421 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खेत खसरा नम्बर 1369/1266 रकबा 6.7421 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 11.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)